



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.06.2026

❖ थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जाने से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से हमला करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.06.2026 को थाना बरौर पर वादी श्री किशन कुमार पुत्र स्व० सालिगराम निवासी ग्राम थनवापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीयों द्वारा आवेदक के घर में घुसकर उसकी पत्नी श्रीमती विनीता देवी उर्फ गुड्डन देवी को कुल्हाड़ी से घायल करने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 53/2026 धारा 109(1)/118(1)/333 बीएनएस बनाम अभिनेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम थनवापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए नामित वांछित अभियुक्त अभिनेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम थनवापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को थनवापुर से जगम्नपुर जाने वाली रोड़ से दुर्जनपुरवा की तरफ जाने वाले कच्चे मार्ग की तरफ थाना क्षेत्र बरौर से दिनांक 29.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिनेश उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम थनवापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 53/2026 धारा 109(1)/118(1)/333 बीएनएस थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अशोक कुमार
2. आरक्षी 537 योगेश कुमार
3. आरक्षी 231 आशीष
4. म०आ० 1288 मनीषा सोनकर